आज दिनांक 14.08.2024 को प्रातः 11.30 बजे नगर पालिका परिषद सरधना के सभागार में श्रीमती सबीला बेगम अध्यक्ष नगर पालिका परिषद, सरधना की अध्यक्षता में बोर्ड बैठक प्रारम्भ हुई, जिसमें निम्नवत् उपस्थिति रही–

	श्रीमती सबीला बेगम,	अध्यक्ष,
1	श्री अतुल प्रधान जी	पदेन सदस्य / मा0 विधायक
2	श्रीमती कविता	सदस्य,
3	श्री मुकेश	सदस्य,
4	श्रीमती तनिका जैन	सदस्य,
5	श्रीमती शगुफ्ता	सदस्य,
6	श्री संजय कुमार	सदस्य,
7	श्री शानू जैन	सदस्य,
8	श्री राहुल	सदस्य,
9	श्री शकील	सदस्य,
10	श्रीमती दानिस्ता	सदस्य,
11	श्री शहजाद	सदस्य,
12	श्री शाहिद	सदस्य,
13	श्रीमती वसीला उर्फ वशीला	सदस्य,
14	श्री मोहम्मद खालिद	सदस्य,
15	श्रीमती फिरदौस	सदस्य,
16	श्रीमती राहत परवीन	सदस्य,
17	श्री फरमान	सदस्य,
18	श्री सलीम	सदस्य,
19	श्री मन्नान	सदस्य,
20	श्री आशीष त्यागी	सदस्य,
21	श्री तारिक हसन	सदस्य,
22	श्री इमरान	सदस्य,

<u>प्रस्ताव संख्या 1 :–</u> गत बैठक की पुष्टि	सदन के समक्ष गत बैठक की पुष्टि हेतु बैठक की कार्यवाही की प्रति उपलब्ध कराते हुए गत बैठक की कार्यवाही को पढ़कर सुनाया गया, जिस पर सदन द्वारा सर्वसम्मति से गत बैठक की पुष्टि की गयी ।
<u>प्रस्ताव संख्या 2 :–</u> स्वतन्त्रता दिवस 2024 हेतु व्यवस्थाओं पर विचार एंव आदेश बोर्ड।	सदन के समक्ष स्वतंत्रता दिवस के आयोजन पर व्यवस्था हेतु चर्चा हुई, चर्चा के दौरान सर्वसम्मति से स्वतंत्रता दिवस भव्य रूप से मनाने के लिए नगर पालिका के भवनों व नगर के ऐतिहासिक स्मारकों पर स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर विद्युत प्रकाश द्वारा साज सज्जा की व्यवस्था कराई जाये तथा शासन/प्रशासन से स्वतंत्रता दिवस के आयोजन पर प्राप्त दिशा निर्देशानुसार स्वतंत्रता दिवस हर्षोल्लास से मनाये जाने पर सहमति बनाते हुए उक्तानुसार कार्यवाही के लिए सर्वसम्मति से अध्यक्ष/अधिशासी अधिकारी को अधिकृत किया गया ।
<u>प्रस्ताव संख्या 3 :–</u> उ0प्र0 शासन नगर विकास अनुभाग–9 संख्या–912/नौ–9–24–85ज0/05टी0सी0–1 लखनऊ दिनांक 28 जून 2024 की अधिसूचना	सदन में उ0प्र0 शासन नगर विकास अनुभाग–9 संख्या–912/नौ–9–24–85ज0/05टी0सी0–1 लखनऊ दिनांक 28 जून 2024 की अधिसूचना उ0प्र0 नगर पालिका

उ0प्र0 नगर पालिका (भवन या भूमि या दोनों के वार्षिक मूल्य पर कर) नियमावली 2024 में उल्लिखित दिशा–निर्देशानुसार कर आरोपण हेतु विचार एवं आदेश बोर्ड।	(भवन या भूमि या दोनों के वार्षिक मूल्य पर कर) नियमावली 2024 की प्रति उपलब्ध करायी गयी तथा उक्त को पढ़कर भी सुनाया गया, जिसमें सदन द्वारा सर्वसम्मति से चर्चा उपरान्त निर्णय लिया गया कि उक्त नियमावली की स्वीकृति हेतु आगामी बोर्ड बैठक में रखी जाये तत्समय ही इस पर कोई निर्णय लिया जायेगा तब तक के लिए पूर्व में पंच वर्षीय कर आरोपण अनुसार ग्रहकर व जलकर के कर आरोपण की मांग अनुसार वसूली की कार्यवाही निरन्तर रखी जाये।
<u>प्रस्ताव संख्या 4 :–</u> अन्य विषय अध्यक्ष महोदय की अनुमति से	
<u>प्रस्ताव संख्या 4 (1) :–</u> मेला बूढा बाबू में रागिनी कार्यक्रम के भुगतान पर विचार एवं आदेश बोर्ड।	सदन में श्री संजय सदस्य द्वारा रागिनी कार्यक्रम के लम्बित भुगतान के लिए प्रस्ताव रखा गया, जिस पर सदन में चर्चा हुई। चर्चा में अधिशासी अधिकारी महोदय द्वारा सदन को अवगत कराया गया कि रागिनी कार्यक्रम में कार्यक्रम संबंधी जांच लम्बित है, जिस कारण इसका भुगतान जांच पूर्ण होने तक किया जाना सम्भव नहीं है, जिस पर सदन में उपस्थित उक्त कार्यक्रम के अन्य सदस्यों द्वारा जांच किस स्तर पर लम्बित है तथा पालिका में उसकी लिखित प्रति आयी है तो उसकी प्रति उपलब्ध कराने को कहा गया। चर्चा के दौरान बैठक में उपस्थित मा0 विधायक जी द्वारा कहा गया कि कार्यक्रम समिति के प्रबंधक द्वारा यदि नगर पालिका से उसका भुगतान नहीं हुआ है तो अपने स्तर से कार्यक्रम होने उपरान्त उसका भुगतान कार्यक्रम के प्रबंधक व समिति सदस्यों द्वारा किया गया है, ऐसी स्थिति में भुगतान लम्बित रखना उचित नहीं है। चर्चा के दौरान सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि रागिनी कार्यक्रम के साथ–साथ यदि मेले में कार्यक्रम समिति द्वारा कोई कार्यक्रम अपने स्तर से कराकर भुगतान कर दिया है तो ऐसे भुगतान को लम्बित न कर ऐसा भुगतान संबंधित को तुरन्त कर दिया जाये। उक्तानुसार कार्यवाही के लिए सर्वसम्मति से अध्यक्ष/अधिशासी अधिकारी को अधिकृत किया गया।
<u>प्रस्ताव संख्या 4 (2) :–</u> पालिका में अधिष्ठाापित टयूबवैलों के विधुत पैनल मोटर व समर सेबिल के रख–रखाव का कार्य कराये जाने पर विचार एवं आदेश बोर्ड।	सदन में अध्यक्ष महोदय द्वारा अवगत कराया गया कि पालिका में अधिष्ठापित 03 टयूबवैलों व 16 अधिष्ठाापित समरसेबिलों पर आये दिन मरम्मत का कार्य होता रहता है, जिससे पेयजल समस्या उत्पन्न होती है, उक्त समस्या को दृष्टिगत रखते हुए सदन में चर्चा उपरांत सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि उपरोक्त अधिष्ठापित टयूबवैल व समरसेबिल पर यथा आवश्यकतानुसार कम से 05 साल के माहवार अथवा वार्षिक पारिश्रमिक के आधार पर जहां है जैसी स्थिति के आधार पर टयूबवैल/समरसेबिलों के संचालन हेतु यथा आवश्यक सभी संयन्त्र अपने स्तर से अधिष्ठापित करते हुए रख–रखाव सहित शर्ते निर्धारित करते हुए कार्य कराने हेतु पालिका अवर अभियंता से आगंणन तैयार कराते हुए निविदा आमंत्रण कर अनुबंध गठित कर कार्य कराया जाये, उक्तानुसार कार्यवाही के

	लिए सर्वसम्मति से अध्यक्ष/अधिशासी अधिकारी को अधिकृत किया गया।
<u>प्रस्ताव संख्या 4 (3) :–</u> पालिका में संचालित लाईब्रेरी में यथा आवश्यक पुस्तकें व इंटरनेट व्यवस्था व ई–कम्पयूटराईजेशन कराने पर विचार एवं आदेश बोर्ड।	सदन में पालिका में संचालित लाईब्रेरी के संचालन पर चर्चा उपरान्त सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि संचातिल लाईब्रेरी में छात्र छात्राओं को ओर बेहतर पुस्तकें प्रदान करने हेतु छात्र–छात्राओं की मांग अनुसार पुस्तकें लाईब्रेरी हेतु कय कर ली जाये तथा उक्त लाईब्रेरी में यथा आवश्यक सी0सी0टी0वी0 कैमरे तथा इन्टरनेट सुविधा देते हुए यथा आवश्यक अनुसार लाईब्रेरी को ई–कम्पयूटराईजेशन कर ओर बेहतर सुविधाएं दी जायें तथा साथ ही साथ यह भी निर्णय लिया गया कि लाईब्रेरी में छात्र छात्राओं के पाठ्य पठन को दृष्टिगत रखते हुए छात्रों के लिए अलग व छात्राओं के लिए अलग समय निर्धारित करते हुए पाठ्य पठन हेतु टाईमटेबिल निर्धारित किया जाये। निर्धारित टाईमटेबिल अनुसार ही छात्र/छात्राओं को अध्ययन हेतु अनुमति दी जाये। उक्तानुसार कार्यवाही के लिए सर्वसम्मति से अध्यक्ष/अधिशासी अधिकारी को अधिकृत किया गया।
<u>प्रस्ताव संख्या 4 (4) :–</u> पालिका की आवंटित दुकानों पर शिकमी किरायेदार के रूप में काबिज व्यक्ति से धरोहर में वृद्धि कर किराया अनुबंध करने पर विचार एंव आदेश बोर्ड।	सदन में गत बैठक के स्वीकृत प्रस्ताव संख्या 5(5) पर पुनः चर्चा हुई। चर्चा के दौरान सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि नगर पालिका द्वारा नगर मे जो दुकाने किराये हेतु आवटित की गई है, उन किरायेदारो द्वारा आपस में एग्रीमेंन्ट करके किसी अन्य व्यक्ति को किराये पर दुकाने दे रखी है तथा मूल किरायेदार सिकमी किरायेदारो से स्वय किराया लेता रहते है तथा नगर पालिका में मूल किराया जमा मूल किरायेदारो द्वारा नही किया जाता है, ऐसी दुकानों के आवंटन के समय मूल आवंटी के लिए जो शर्तें निर्धारित है उन शर्तों में इस प्रकार संशोधन कर लिया जाये कि यदि मूल आवंटी पालिका की दुकान में अपना व्यवसाय नही कर रहा है किसी अन्य व्यक्ति से व्यवसाय कराकर किराये की वसूली कर रहा है तो ऐसे दुकानदारों को चिन्हिंत करते हुए या दुकानदारों के आवेदन पर दुकान पर काबिज व्यक्ति से तत्समय नीलामी की प्रीमियम धनराशि में 10 प्रतिशत वृद्धि करते हुए उक्त दुकान का पूर्व निर्धारित किराये के स्थान पर वर्तमान में प्रचलित सर्किल रेट के अनुसार किराये का निर्धारण कर संबंधित से किराया वसूली की कार्यवाही की जाये तथा तथा नियमानुसार किराये का अनुबंध भी संबंधित से कर लिया जाये। उक्तानुसार कार्यवाही के लिए सर्वसम्मति से अध्यक्ष/अधिशासी अधिकारी को अधिकृत किया गया ।
<u>प्रस्ताव संख्या 4 (5) :–</u> अनुबंधित आउटसोर्स एजेन्सी से नगर में सफाई व्यवस्था को दृष्टिगत रखते हुए सफाई कर्मचारियों को बढाये जाने पर विचार एंव आदेश बोर्ड।	श्री सोनू व श्री शहजाद सदस्यों द्वारा नगर में सफाई की समस्या को दृष्टिगत रखते हुए आउटसोर्स पर कार्य कर रहे कर्मचारियों के अतिरिक्त कर्मचारी बढाने हेतु प्रस्ताव रखा, जिस पर सदन में चर्चा हुई चर्चा के दौरान सदन में सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि नगर के कुछ वार्डों में नई आबादी विकसित हुई है तथा कुछ वार्डों में कर्मचारियों को अधिक कार्य क्षेत्र आवंटित कर रखा है। ऐस वार्डों में

	सफाई की समस्या निरन्तर आ रही है, जिसको दृष्टिगत रखते हुए सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि अनुबंधित आउटसोर्सिंग एजेन्सी से नयी आबादी के वार्डों में व कर्मचारियों के अधिक कार्य क्षेत्रों में सफाई संबधी आ रही समस्यो के सुगमतापूर्वक ठीक कराने के लिए कम से कम 10 से 15 सफाई कर्मचारी बढायें जायें। सदन में सफाई की समस्या को दृष्टिगत रखते हुए यह भी निर्णय लिया गया कि ऐसे सफाई कर्मचारी जो नियमित/संविदा/आउटसोर्सिंग पर पालिका में कार्य कर रहे है यदि उनके द्वारा सफाई कार्य में लापरवाही एवं उदासीनता बरती जा रही है तो ऐसे सफाई कर्मचारियों को चिन्हिंत करते हुए उन्हें प्रथम, द्वितीय व अन्तिम नोटिस देते हुए उनके विरूद्ध नियमानुसार विधिक कार्यवाही की जाये तथा हल्का क्षेत्र के संबंधित सफाई नायकों के विरूद्ध भी कड़ी कार्यवाही की जाये। उक्तानुसार कार्यवाही के लिए सर्वसम्मति से अध्यक्ष/अधिशासी अधिकारी को अधिकृत किया गया ।
<u>प्रस्ताव संख्या 4 (6) :—</u> सफाई सामग्री क्रय करने पर विचार एंव आदेश बोर्ड।	सदन में सफाई कर्मचारियो को सफाई सामग्री क्रय करने पर चर्चा हुई,चर्चा के दौरान सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि पालिका में कार्यरत नियमित, संविदा व आउटसोर्सिंग पर कार्यरत कर्मचारियों को सफाई कार्य हेतु सफाई उपकरण, जैसे तस्ला, फावड़ी, झाड़ू, पंचागंला आदि यथा आवश्यक सफाई सामग्री उपलब्ध करायी जाये तथा सफाई कर्मचारियों की सुरक्षा हेतु सफाई कर्मचारियों को ग्लव्स, गमबूट, मास्क, जैकेट के साथ—साथ शासन द्वारा निर्धारित पी0पी0ई0 किट की समस्त सामग्री उपलब्ध करायी जाये। उक्तानुसार कार्यवाही के लिए सर्वसम्मति से अध्यक्ष/अधिशासी अधिकारी को अधिकृत किया गया।
<u>प्रस्ताव संख्या 4 (7) :—</u> कूड़े के लिए भूमि क्रय करने पर विचार एंव आदेश बोर्ड।	सदन में कूडे के लिए भूमि क्रय करने पर चर्चा हुई चर्चा के दौरान सर्व सम्मति से निर्णय लिया गया कि तहसील रोड पर पालिका के डम्पिंग ग्राउण्ड में कूडा अत्यधिक एकत्र होने व उक्त भूमि के आस—पास आबादी विकसित होने के कारण नगर सीमा क्षेत्र से बाहर ग्राम समाज अथवा राजस्व अभिलेखानुसार राजस्व भूमि तहसील स्तर से चिन्हिंत कराकर उस पर कूडा डम्प कराया जाये यदि ग्राम समाज अथवा राजस्व अभिलेखों अनुसार राजस्व भूमि उपलब्ध नहीं हो पाती है, तो पालिका द्वारा अपने संसाधनों अथवा शासन से प्राप्त होने वाली धनराशि से आसपास उपयुक्त भूमि चिन्हिंत करते हुए भूमि क्रय करने की कार्यवाही की जाये तथा तहसील रोड पर डम्पिंग ग्राउण्ड में जो कूडा एकत्र होकर डम्प हो रहा है उसके लिए पालिका की उक्त स्थल पर लगी रिसाईकिल मशीन को सुचारू रख कर डम्प कूडे का निस्तारण कराया जाये तथा ऐसे कूडे के निस्तारण हेतु यथा आवश्यक ओर संयन्त्र क्रय कर उक्त स्थल पर लगाते हुए कूडे का निस्तारण कराया जाये या किसी अन्य एजेन्सी से अनुबंध गठित करते हुए उक्त कूडे का निस्तारण कराया जाये। उक्तानुसार कार्यवाही के लिए सर्वसम्मति से अध्यक्ष/अधिशासी अधिकारी को अधिकृत किया गया।

<u>प्रस्ताव संख्या 4 (8) :–</u> अशोक की लाट पर स्थित पालिका फड़ों की अनुमति शुल्क बढाने पर विचार एंव आदेश बोर्ड।	सदन में श्री मनोज कुमार, लिपिक द्वारा दिये गये पत्र को पढ़कर सुनाया गया जिसमें उल्लिखित किया गया था कि 39 फडों में से 5 फडदाता द्वारा अभी तक अनुमति शुल्क पूर्व का बकाया पालिका में जमा नही किया गया है जबकि इन फडदाताओं को नोटिस भी दिये गये है। इन 5 फडदाताओं में से कुछ के मुकदमें अभी तक समझौता एवं मुकदमा वापिस/खारिज नहीं हुआ है। ऐसे सभी फडदाताओं से वित्तीय वर्ष 2024–25 में अनुमति शुल्क बढाकर वसूली की जाये के संबंध में दिशा–निर्देश मांगे गये थे, जिस पर सदन में चर्चा उपरान्त सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि अशोक की लाट पर फड भूमि धारकों के साथ पालिका द्वारा एक बैठक इस आशय की आहूत की जाये कि उक्त स्थल पर आये दिन फड़ धारकों के साथ आगजनी आदि की घटनाओं को दृष्टिगत रखते हुए फडों के स्थान पर पालिका द्वारा संबंधितों से वार्ता कर पालिका द्वारा उक्त स्थल पर पक्की दुकानें निर्मित कराकर दुकान आवंटन की जाये तथा आवंटित की जाने वाली दुकानों में फड़ धारकों को वरीयता दी जाये,संबधित फड घारको से बैठक आहूत् कर उनसे सामंज्स्य स्थापित करते हुए उपरोक्तानुसार कार्यवाही की जाये, तब तक के लिए संबंधितों से कोई अनुमति शुल्क न वसूला जाये। उक्तानुसार कार्यवाही के लिए सर्वसम्मति से अध्यक्ष/अधिशासी अधिकारी को अधिकृत किया गया।
<u>प्रस्ताव संख्या 4 (9) :–</u> श्री हनी कुमार, ठेकेदार साप्ताहिक पैंठ के प्रार्थना पत्र पर विचार एंव आदेश बोर्ड।	सदन के समक्ष श्री हनी कुमार, ठेकेदार साप्ताहिक पैंठ द्वारा दिये गये प्रार्थना पत्र को पढ़कर सुनाया गया कि "वर्ष 2022 में साप्ताहिक पैंठ का ठेका 12 माह का गुजरान गेट से देशी शराब के ठेके तक छोडा गया था जो कि ठेका नगर पालिका ने ठेका 5,95,000 रू0 में ठेकेदार को छोडा गया था। वर्ष 03.08.2024 को नगर पालिका ने नया ठेका भूलरिया बस स्टैण्ड में ठेका जो कि नियमानुसार छोडा गया है। इसमें नगर पालिका ने नियमानुसार ही सारी शर्तों के आधार पर नया ठेका 20,00,000/– रू0 में ठेकेदार को छोडा गया जो ठेका 8 माह का है, जो रेट नगर पालिका ने शुल्क निकाला 100 पर टेबिल 6 × 3 का साईज तय हुआ जिसमें कि पैंठ दो जगह लग रही है भूलरि बस स्टैण्ड और पुराने स्थल पर लग रही है जिसमें ठेकेदार को बहुत हानि हो सकती है या तो पैंठ को पुराने स्थल पर लगाया जाये या दोनों जगहों की अनुमति दी जाये 50 प्रतिशत दुकानदार भूलरिया बस स्टेण्ड में 5 टेबिल से 15 टेबिल तक के ठिये लगाते है जो कि 100 रू0 प्रति टेबिल के हिसाब से नगर पालिका ने रेट तय किये थे जो कि नियमानुसार है, जो कि 11.08.2022 को दिन रविवार को ठेकेदार पैंठ में मय रशीद वसूली के लिये गया और दुकानदारों ने 100 रू0 पर टेबिल के हिसाब से पैसे देने से इन्कार कर दिया और सारे दुकानदार अपने ठिये उठाकर पुराने स्थल पैठ लगाकर बैठ गये किसी कारण ठेकेदार को आगे भविष्य में भारी नुकसान होने की सम्भावना है इस

	कारण या तो पुराने स्थल पर पैंठ लगायी जाये या अन्यथा दोनों स्थान पर लगाने की अनुमति दी जाये''। उक्त पर सदन में चर्चा उपरान्त निर्णय लिया गया कि मौहल्ला भुलरिया पैठ स्थल में साप्ताहिक पैंठ में आने वाले दुकानदारों को पालिका शर्तानुसार 6 × 3 फिट की टेबिल के आधार पर ही निर्धारित 100 रूपये प्रति टेबिल के अनुसार शुल्क वसूलते हुए भूमि आवंटित की जाये,जहॉ तक पुराने पैठ स्थल बूढा बाबू रोड पर पैठ लगती थी,उसके लिए सदस्यो द्वारा आपसी सहमति बनाकर उक्त पैठ स्थल के परिवर्तन हेतु लिखित सहमति पालिका कार्यालय में देने हेतु उक्त सहमति के आधार पर पैठ स्थल बूढा बाबू रोड पर परिर्वतन करने का निर्णय लिया गया जब तक के लिए यदि कोई दुकानदार मौ0भूलरिया पैठ स्थल पर कोई दुकान न लगाकर पुराने पैंठ स्थल पर दुकान लगाता है तो ऐसे दुकानदार से वहीं पर धनराशि वसूल करने हेतु भी सहमति की गयी, उक्तानुसार संबंधित ठेकेदार को स्वीकृति पत्र निर्गत करने के लिए सर्वसम्मति से अध्यक्ष/अधिशासी अधिकारी को अधिकृत किया गया।
<u>प्रस्ताव संख्या 4 (10) :–</u> श्री सईद अहमद ठेकेदार द्वारा सम्पादित निर्माण कार्यों के लम्बित बिल भुगतान पर विचार एंव आदेश बोर्ड।	सदन के समक्ष श्री सईद अहमद, ठेकेदार द्वारा दिये गये प्रार्थना पत्र जिसमें उनके द्वारा धर्मपुरा कब्रिस्तान में मिटटी भराव कार्य के साथ–साथ उल्लेख किया है कि उनके द्वारा जो कार्य किये गये थे आज तक भी प्रार्थी का बिल नहीं बनाया गया है बिल बनवाने व भुगतान करने के प्रार्थना पत्र को सदन के समक्ष पढ़कर सुनाया गया। जिस पर श्री इमरान सदस्य द्वारा अपने लैटर हैड पर अन्य सदस्यों के हस्ताक्षरयुक्त एक पत्र प्रस्ताव के रूप देते हुए पढकर सुनाया गया उक्त में उल्लिखित था कि ''**सईद अहमद** ठेकेदार द्वारा पूर्व बोर्ड के कार्यकाल में कार्य किये गये है। उनके कार्य मानक व गुणवत्ता अनुरूप नहीं है तथा अपनी मनमर्जी से ठेकेदार द्वारा कार्यों के एग्रीमेन्ट से अधिक बढ़ाकर पालिका प्रशासन पर उसके भुगतान हेतु बार–बार अनुचित दबाव बनाते रहते है तथा नगर पालिका प्रशासन द्वारा इसमें असमर्थता व्यक्त करने पर उच्चाधिकारियों के समक्ष कपोल वर्णित तथ्यों के प्रार्थना पत्र देकर पालिका प्रशासन की शिकायत करते रहते है। संबंधित ठेकेदार का नगर पालिका का चारदीवारी का प्रकरण इसी प्रकार था कि संबंधित ठेकेदार द्वारा स्वीकृत कार्य से दीवार का अधिक कार्य कर दिया गया था तथा इसी प्रकार ठेकेदार द्वारा कुम्हारान में पाईप लाईन प्रथम व अन्तिम बिल का भुगतान सन 2019 में लेने के बाद भी लगभग 70,000 रू0 के भुगतान की ओर मांग की जा रही है तथा नगर पालिका परिषद सरधना के सदस्यों के साईन बोर्ड का स्वीकृत स्टीमेट 1,92,192 रू0 के सापेक्ष लगभग 13,00,000 रू0 का बिल प्रस्तुत किया गया है तथा 38 साईन बोर्ड बनाये गये है जबकि निर्वाचित व नामित व अध्यक्ष सहित कुल 31 सदस्य बनते है रिवाईज धनराशि अनुसार 7 बोर्ड के अधिक भुगतान की मांग भी संबंधित द्वारा की जा रही है तथा गोमतीनगर छावनी व नई बस्ती व तकिया कैंत में संबंधित द्वाराजो पाईप लाईन बिछाने का कार्य किया गया है व

	मानक गुणवत्ता अनुसार नहीं है तथा नगर पालिका सरधना में विभिन्न स्थानों पर रेट्रो रिफलेक्टीव का कार्य सन 2009 में स्वीकृत था जिसमें संबंधित ठेकेदार द्वारा अवर अभियंता से सांठ गांठ कर सन 2021 में कार्य पूर्ण किये बिना ही प्रथम व अन्तिम बिल लगभग 90,000 रू0 का बनवा लिया है। तथा इसी प्रकार संबंधित ठेकेदार द्वारा मण्डी चमारान में शाहिद के मकान से पाईप लाईन व सीसीरोड का निर्माण कार्य का भी स्वीकृत आंगणन से अधिक कर के भुगतान की मांग की जा रही है तथा उक्त कार्य भी मानक व गुणवत्ता अनुसार नहीं है इसी प्रकार कालन्द चुंगी कब्रिस्तान में अर्थफिलिंग के कार्य हेतु सन 2021 का स्वीकृत कार्य संशोधित इस्टीमेट संबंधित द्वारा 21,00,000 रू0 का बनवाकर प्रथक रनिंग बिल के लगभग 9,50,000 रू0 के भुगतान की मांग की जा रही है। चूंकि नगर पालिका में वर्तमान बोर्ड के कार्यकाल में सदस्यों के वार्ड में भी कार्य होना है तथा मानक व गुणवत्ता अनुसार कार्य सम्पादित न करने तथा कार्य को अपनी स्वेच्छा से एग्रीमेन्ट से अधिक कर संशोधित रिवाईज अनुसार भुगतान करने का दबाव बनाने व संबंधित का समय–समय पर भुगतान होने के बाद भी उच्चाधिकारियों को गलत तथ्यों के आधार पर शिकायतें करने के कारण संबंधित ठेकेदार के उक्त निर्माण कार्यों की वृहत जांच कराकर ही शासनादेशों में उल्लिखित व्यवस्था अनुसार ही अनुबंध के सापेक्ष भुगतान का निर्णय लिया जाये तब तक के लिए संबंधित का भुगतान न किया जाये तथा वर्तमान परिस्थिति अनुसार नगर मे हमारे वार्डों में निर्माण कार्य कराया जाना आवश्यक है, धनराशि की उपलब्धता के आधाार पर प्राथमिकता पर पूर्व कार्यों के सभी ठेकेदारों के लम्बित भुगतान को वर्तमान में रोकते हुए हमारे वार्ड में विकास कार्य कराया जाये तथा वर्तमान में कार्य कर रहे ठेकेदारों को धनराशिकी उपलब्धता के आधार पर भुगतान की कार्यवाही की जाये''। उक्त प्रस्ताव पर सदन में चर्चा हुई चर्चा के दौरान सदस्यों द्वारा प्रत्येक बोर्ड बैठक में जो अपने अपने वार्डों में विकास कार्य कराने हेतु प्रस्ताव दिये जाते है उन प्रस्ताव पर पालिका में राज्य वित्त आयोग/पालिका निधि में धनराशि की उपलब्धता न होने के कारण कार्य नहीं हो पा रहा है केवल अति आवश्यक कार्य ही सम्पादित कराये जा रहे है, जिससे इस बोंर्ड के कार्यकाल में हम सदस्यों के वार्डों में विकास कार्य न होने से आम जनसामान्य में रोष उत्पन्न होने के कारण पालिका की छवि भी धूमि हो रही है, जिसको दृष्टिगत रखते हुए श्री इमरान सदस्य के पत्र पर सर्वसम्मति से यह निर्णय लिया गया कि श्री सईद अहमद ठेकेदार के उपरोक्त कार्य अधिकांश जो कि लगभग 5 से 10 वर्ष पूर्व की अवधि के है,यदि इनके द्वारा किया गया है तो ऐसे कार्यों की मौका स्थल अनुसार वृहत जांच करायी जाये तथा जांच में पायी जाने वाली कमियो का संबधित ठेकेदार से निराकरण कराने के बाद कार्यादेश में स्वीकृत व गठित अनुबंध अनुसार ही संबंधित ठेकेदार द्वारा सम्पादित किये गये कार्यों की धनराशि को संकलित कर लिया जाये,जिन पत्रावलियो में कार्यादेश के

	सापेक्ष इतनी अधिक अवधि में बिना किसी कारण के कार्य पूर्ण नही हुआ है,ऐसे निर्माण के बनाये बिलो पर तत्तकालीन अवर अभियंता की संदिगध भूमिका की जॉच करायी जाये व निर्माण कार्य कार्यादेश में स्वीकृत धनराशि/अनुबंधित के अनुसार कार्य पूर्ण न करने के कारण ऐसी पत्रावली में कोई भुगतान न किया जाये,तथा अन्य संबंधित निर्माण पत्रावली में संकलित धनराशि का भुगतान प्रारम्भ करने से पूर्व इस बोर्ड के कार्यकाल में बोर्ड द्वारा प्रस्तावित विकास कार्यों का धनराशि की उपलब्धता के आधार पर आंगणन तैयार कराकर निविदा आमंत्रण की कार्यवाही सम्पादित करते हुए इस बोर्ड के कार्यकाल में राज्य वित्त आयोग/पालिका निधि से विकास कार्यों हेतु आमंत्रित निविदाओं के सापेक्ष कार्य करने वाले वर्तमान ठेकेदारों के सम्पूर्ण भुगतान करने उपरान्त जो धनराशि राज्य वित्त आयोग/पालिका निधि में अवशेष रहती है ऐसी उपलब्ध धनराशि से संबंधित को समय–समय पर जांच रिपोर्ट के कम में नियमानुसार कार्यादेश में स्वीकृत व अनुबंधित गठित धनराशि का भुगतान निर्माण पत्रावलियो के आधार पर पत्रावली में किश्तवार भुगतान किया जाये उक्तानुसार कार्यवाही के लिए सर्वसम्मति से अध्यक्ष/अधिशासी अधिकारी को अधिकृत किया गया।
<u>प्रस्ताव संख्या 4 (11) :–</u> नगर में पथप्रकाश व्यवस्था हेतु सामग्री कय करने पर विचार एंव आदेश बोर्ड।	सदन में पथप्रकाश व्यवस्था बनाये जाने पर चर्चा हुई जिस पर सदन में सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि पालिका में यथा आवश्यक 45 वाट, 30 वाट 60 वाट कम से कम 1500 लाईटें कय की जाये तथा लाईटों को अधिष्ठापित करने हेतु केबिल, क्लैम्प, कुहनी व अन्य यथा आवश्यक सामग्री भी कय की जाये। उक्तानुसार कार्यवाही के लिए सर्वसम्मति से अध्यक्ष/अधिशासी अधिकारी को अधिकृत किया गया।
<u>प्रस्ताव संख्या 4 (12) :–</u> मौ0 भुलरिया में स्थित अवशेष दुकानों के आवंटन पर विचार एंव आदेश बोर्ड।	सदन में मौ0 भुलरिया में स्थित अवशेष दुकानों के आवंटन हेतु चर्चा हुई, चर्चा के दौरान सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि पालिका द्वारा पूर्व में जो दुकानें आवंटित की गयी है मौका स्थल पर सडक आदि व अन्य मूलभूत सुविधाएं पालिका द्वारा उक्त स्थल पर उपलब्ध नहीं करायी गयी है, जिस कारण आवंटी दुकानदारों द्वारा अपना व्यापार उक्त स्थल पर करना सम्भव नहीं हो पा रहा है शीघ्र अति शीघ्र उक्त स्थल पर कार्य कराकर दुकानों का पजेशन आवंटीयों को देते हुए किराया प्रारम्भ करने की कार्यवाही के लिए उक्त मार्किट स्थल पर मूलभूत सुविधाएं प्रदान करते हुए दुकानों के लेंटर आदि के अवशेष कार्य को कराने हेतु पालिका अवर अभियंता से आंगणन बनवाकर निविदा आमत्रण की कार्यवाही की जाये तथा उक्त स्थल पर अवशेष दुकानों की नीलामी की प्रकिया हेतु गत शर्तो अनुसार ही प्रीमीयम व किराया निर्धारण अनुसार ही नीलामी की कार्यवाही करायी जाये तथा पालिका में उक्त के अतिरिक्त पालिका की भूमि जैसे शहीद द्वार के समीप स्टेट बैंक के पास भूमि की आवंटन प्रक्रिया गत शर्तों के अनुसार ही प्रारम्भ की जाये। उक्तानुसार कार्यवाही के लिए

	सर्वसम्मति से अध्यक्ष/अधिशासी अधिकारी को अधिकृत किया गया।
<u>प्रस्ताव संख्या 4 (13) :–</u> वार्ड सदस्यों द्वारा अपने–अपने वार्ड में विकास कार्य हेतु दिये गये प्रस्ताव पत्रों पर विचार एंव आदेश बोर्ड।	सदन में वार्ड सदस्यों द्वारा अपने अपने वार्ड में दिये गये विकासात्मक कार्यों को सदन के समक्ष पढ़कर सुनाया गया– **श्रीमति कविता, सदस्य द्वारा दिये गये प्रस्ताव को पढ़कर सुनाया गयाः–** 1– मौहल्ला पुलिस चौकी चमारान में शौचालय के पीछे पड़ी खाली भूमि पर अम्बेडकर भवन का निर्माण कराने हेतु। 2–मौहल्ला गढी खटीकान में नाले की पटरी पर आवश्यकता अनुसार चैनल लगवाने के साथ–साथ सी0सी0 इंटरलोकिंग टाईल्स द्वारा सडक का भराव कराकर सडक बनवाने व गोमतीनगर गेट से लेकर दौराला रोड तक आर0सी0सी0 का नाला निर्माण करवाने व सहायक बंद गालियों में दीवार करायें। 3– टाउन हॉल रोड पर शमीम अंसारी के मकान केक पास कुएं का सौंदर्यकरण करवाने हेतु। 4– दौराला रोड हिन्दु शमशान घाट के मुख्य रास्ता मिटटी भराव कर सी0सी0 टाईल्स बनवाने हेतु। 5– दौराला रोड हिन्दु शमशान घाट में पालिका द्वारा टीन शेड, समरसेबिल, पखें व विभिन्न निर्माण कार्य कराये है। जिसमें कई बार चोरी हो गई है। उक्त को दृष्टिगत रखते हुए व लगाये गये पेडों/पौधो के लिए एक केयर टेकर ततकाल रखवाने का कार्य। 6– मौ0 भुल्लरिया की दुकानों का किराये हेतु आवंटन। 7– शहीद द्वार के पास नजूल भूमि दुकानों के नक्शे के आधार पर किराये हेतु दुकानों का आवंटन। 8– डम्पिंग ग्राउंड की नजूल भूमि पर पूरब व उत्तर दिशा में दुकानों का नक्शे के आधार पर किराये हेतु दुकानों का आवंटन व दोनों दिशाओं में गेट का निर्माण सीढियों सहित कराया जायें। 9– अशोक कीलाट के पास अस्थाई फडों को ततकाल प्रभाव से हटाकर उस पर भव्य मार्किट का निर्माण व अशोक की लाट को नई इमारत बनाकर सौन्दर्यकरण कराया जाये। 10– नगर पालिका द्वारा किराये पर दी गई दुकानों में यदि कोई सिक्मी किरायेदार है अथवा दुकान का किरायेदार यदि किसी अन्य को दुकान देना चाहे तो एक अच्छा शुल्क लेकर नामांतरण की कार्यवाही की जायें। 11– दौराला रोड स्थित शमशान घाट में निर्माण की एक डी0पी0आर0 बनवाकर शासन को ततकाल भेजी जाये। 12– मानसून को दृष्टिगत रखते हुए दौराला रोड स्थित शमशान घाट की चारदीवारी के पास चारों ओर तत्काल प्रभाव से प्राथमिकता लेते हुए बोटलपाम/अशोक के वृक्ष लगवाये जाये व 03 हाईमास्क पोल लगवाये जाये। 13– दौराला रोड पर पुलिस चौकी के समीप पुल के निर्माण का टेंडर जलभराव की समस्या से निजात दिलाने हेतु प्राथमिकता से कराया जायें।

	14– मौहल्ला गढी खटीकान में सामजिक धर्मशाला का जो स्टीमेट जे0ई0 महोदय द्वारा बनाया गया है। उक्त कम में प्राथमिकता लेते हुए जनता के हित रा0वि0आ0 से टेंडर जारी किया जाये। 15– एक फ्रिज सामाजिक धर्मशाला में गढी खटीकान में व एक फ्रिज कालंद चुंगी के पास नई मार्किट में लगवाया जाये। **श्रीमति शगुफ्ता अंसारी, सदस्य द्वारा दिये गये प्रस्ताव को पढ़कर सुनाया गयाः–** 1–मौ0 छावनी वार्ड नं0 6 में पूर्व में बोर्ड बैठक में दिये गये प्रस्ताव अनुसार भिन्न–भिन्न गालियों में निर्माण कार्य कराया जाना आवश्यक है। 2–मौ0 छावनी नंगला रोड में अल्लावालों के सामने पुलिया का निर्माण कार्य। 3– मौ0 छावनी नंगला रोड रागडों वाली गली व घोसियान में 02 सफाई कर्मचारी की नियुक्ति। 4– वार्ड नं0 06 मे 40 नये लाइटों के पोइंट बनवाये जाये। 5– मौ0 छावनी मे नंगला रोड पर कादिर के मकान से नाईयों के मकान तक टाईल्स वाली सडक व नाली निर्माण कार्य। 6– वार्ड न 06 स्थित वीर अब्दुल हमीद पार्क का सौन्दर्यकरण व 300 फिट तिंरगा झण्डा स्थापित कराय जाये। 7– वार्ड सीमा में 03 तीन नये वाटरकूलर स्थापित कराये जाये। 8– वार्ड मे मौहल्ला छावनी में वहाब के मकान से कैलाश के मकान तक सी0सी0 रोड बनवाये जाये। 9– मौ0 शेर के मकान से अब्दुर्रहमान के मकान तक सी0सी0 रोड बनवाया जाये। 10– मौ0 छावनी में नरेश के मकान से मंदिर तक व बाहर वाला रोड आर0सी0सी0 सड़क बनवायी जाये। 11– मौ0 छावनी में मनीषा के मकान से विजय के मकान तक टाईल्स व नाली निर्माण कार्य। 12– मौ0 छावनी में शकील के मकान से अशरफ के मकान तक भराव, टाईल्स व नाली निर्माण कार्य। 13– मौ0 छावनी में सगीर के मकान से फूसो के मकान तक सी0सी0 रोड व नाली निर्माण कार्य। **श्री संजय कुमार, सदस्य द्वारा दिये गये प्रस्ताव को पढ़कर सुनाया गयाः–** 1– रूपचंद वाली गली आर्दशनगर में आर0सी0सी0 रोड का निर्माण। 2– चौ0 टेंट हाउस से कुलदीप खल वाले तक गली का भराव कराकर पुरानी टाईल्स ही लगवाने हेतु। 3– शिव मंदिर पंप से कुलदीप खल वाले तक सडक का उठवाकर बनवायें जिससे पानी की समस्या का समाधान होगा जनता बहुत परेशानी का सामना कर रही है। 4– जैन मंदिर आर्दशनगर के बराबर में हाफचक का आर0सी0सी0 रोड का निर्माण कराया जाये। 5– पूरे वार्ड में लाईटों की बहुत समस्या है उसका समाधान किया जाये।

	6— वार्ड 07 में तीन वाटर कूलर लगाया जाये। **श्री शकील अहमद, सदस्य द्वारा दिये गये प्रस्ताव को पढ़कर सुनाया गयाः—** 1— मौ0 बेलदरान कोठी में खम्भे की आवश्यकता है और सडके बननी है और कमरानवाबान में सडके व लाईटों की आवश्यकता है, प्रभात नगर में पीछे की सडकों में गलीयां में सडके बननी है और लाईटें भी लगनी हैं। और 05 फ्रिजों की आवश्यकता है। मौ0 बेलदारान की कोठी में सडके बननी है। **श्रीमति दानिश्ता, सदस्य द्वारा दिये गये प्रस्ताव को पढ़कर सुनाया गयाः—** 1— ऐनुद्दीन शाह की कोठी से एमी शाह की कोठी तक आर0सी0सी0 नई सडक का कार्य तत्काल में कराया जाए। 2— वार्ड 12 में नई लाईटें लगवाई जाए। 3— इलम सिंह वालों कलोनी में नई सडक टाईल्स वाली का कार्य तत्काल में कराया जाए। 4— वार्ड 12 में 04 नए फ्रिज लगवाये जाए। 5— बले सर डा0 की दुकान से और अली शाह की कोठी तक आर0सी0सी0 सडक का कार्य किया जाए वार्ड 12 में। 6— वार्ड 12 मे रिपेयर का कार्य नाली व सडक की रिपेयर का कार्य किया जाए। 7— वार्ड 12 में केशव राम पूर्व चेयरमेन वाली कालोनी मे नई सडक टाईल्स का कार्य तत्काल किया जाए। 8— वार्ड 12 हाफिज के मकान से नफीस के मकान तक नई सडक टाईल्स का कार्य तत्काल कराया जाए। **श्रीमति वशीला, सदस्य द्वारा दिये गये प्रस्ताव को पढ़कर सुनाया गयाः—** 1— वार्ड न0 15 मौहल्ला जोगियान में ईस्लाम के यहां यामीन चक्की वाले के मकान तक सी0सी0 सडक व नाली निर्माण कार्य। 2— बाबू तेली के यहां से यामीन चक्की वाले के मकान तक सी0सी0 सडक व नाली निर्माण कार्य। 3— रामपाल सैनी वाली गली सी0सी0 सडक व नाली निर्माण व चैनर का कार्य। 4— हाजी सलीम की गली में सी0सी0 सडक व नाली निर्माण कार्य। 5— धर्मशाला के पास चैनर लगवाने का कार्य। 6— मीरू तैली के मकान से यामीन के मकान इंटरलाकिंग टाईल्स का कार्य। **मौ0 खालिद अंसारी, सदस्य द्वारा दिये गये प्रस्ताव को पढ़कर सुनाया गयाः—** 1— वार्ड सं0 17 गोमती नगर गेट के अंदर वाली नाले के ऊपर पुल का निर्माण व गोमतीनगर वाले नाले का पुनः निर्माण जोकि गोमतीनगर मेन पुल से होते हुये दौराला रोड मकबरे वाली मस्जिद तक किया जाना अति आवश्यक है। व साईड वाली सडक भराव सहित इंटरलोकिंग टाईल्स व गलीयों के सामने चैनल की नाली के ऊपर लगवाना अति आवश्यक है। 2— दौराला रोड पर मकबरे वाली मस्जिद के पास मेन पुल का चौडी करण व नवीनकरण ढाई फुट ऊंचा कराकर

	बनवाया जाये जो अति आवश्यक है जिससे पानी कि निकासी सही तरह हो सके जिससे शहर में जल भराव से छुटकारा मिल जाये। 3– वार्ड 17 गोमतीनगर पुल से लेकर चुंगी चौराहे तक सडक दोनों ओर कि नाली निर्माण व नालियों का चौडीकरण व सडक 2 फुट भराव सहित सी0सी0 सडक निर्माण कराया जाये व इंजीनियर द्वारा पानी कि निकासी के लिये नक्शा बनवाया जाये। 4–गोमती नगर गेट से लेकर नई प्लॉटो तक इ0ला0ट0की सडके बनवाई जाये । 5– वार्ड न0 17 गोमतीनगर पुल से लेकर दौराला रोड पुल तक नाले वाली सडक का निर्माण कराया जाये। 6– वार्ड 17 दौराला रोड पर मकबरे वाली पुल को ऊंचा व चौडा कराकर पुनः निर्माण कराया जाये। 7– वार्ड 17 में चार नये वाटर कूलर फ्रिज लगवाये जाये व सभी धार्मिक स्थलों का जलकर माफ किया जाये। 8– वार्ड 17 में 50 नई पाइंट पर नई लाईट लगवायी जाये। 9– वार्ड 17 में डंपिंग ग्राउंड का स्थान बदला जाये जोकि गंदगी होने के कारण व अंसार नगर वासियों को बीमारी व गंदगी से निजात मिल सके। 10– वार्ड 17 में एक शौचालय का निर्माण कराया जाये। 11– वार्ड 17 में दो नये कर्मचारी सफाई व्यवस्था में कमी होने के कारण लगाये जाये। 12– नगर पालिका परिसर में जल भराव होता है नगर पालिका में दो फुट भराव कराया जाये व नई टाईल्स लगाइयी जाये। **श्री अशीष त्यागी, सदस्य द्वारा दिये गये प्रस्ताव को पढ़कर सुनाया गयाः–** 1– महाराजा अग्रसैन पार्क का निर्माण लगभग 10 वर्ष पूर्व हुआ था, पार्क का सौन्दर्यकरण कराने का कार्य। 2– वार्ड 23 में देवी मंदिर से गुजरान गेट चौराहे तक सी0सी0 रोड का निर्माण कार्य। 3– वार्ड 23 में गुजरान गेट चौराहे से अंशुल त्यागी के मकान तक सी0सी0 रोड बनवाने का कार्य। 4– गुजरान गेट चौराहे पर प्याऊ का सौन्दर्यकरण कार्य करवाना। **श्री शाहिद मलिक, सदस्य द्वारा दिये गये प्रस्ताव को पढ़कर सुनाया गयाः–** 1– वार्ड न0 14 मे अनारों वाला दंगडा आता है जिस पर कालंद चुंगी के पास कब्रिस्तान के बराबर में एक शहीद अशफाक उल्ला खां के नाम से एक गेट का निर्माण कराया जाये। 2– वार्ड नं0 14 में कुछ गलियों में अधेंरा रहता है जहां पर नई लाइंट लगने की आवश्कता है। 3– वार्ड न0 14 में 10 से 12 पाइंट पर लाइंट की आवश्यकता है। 4– मदरसे से लेकर आफताब के घर तक जो नीचे में है वहां पर हल्की सी बारिश होते ही पानी भी जाता है उसको ऊंची करके बनवाई जाए और जो पिछले वर्ष गली की

	सडक के निर्माण हुए थे वह गढडों में तब्दील हो चुके है उसको रिपेयर कराकर गढढे मुक्त किया जाए। 5– वार्ड न0 14 में कब्रिस्तान के दोनो तरफ नाला है उसमें पानी रूका रहता है पानी रूकने के कारण कब्रिस्तान की दीवारों को नुकसान पहुंच रहा है उस नाले को बंद कराकर एक छोटी नाली बना दी जाए। 6– वार्ड 14 में एक गली जो बहुत क्षेत्राग्रस्त है उस गली को आर0सी0सी0 की बनवाई जाये, रमजानी मलिक के मकान से इरशाद मलिक के मकान तक साथ मे ंदो छोटी बंद गली भी है उनको भी आर0सी0सी0 की बनवाई जाये। **मौ0 फरमान, सदस्य द्वारा दिये गये प्रस्ताव को पढ़कर सुनाया गयाः–** 1– बंधन बैंक के बराबर वाली गली विक्की के प्लाट से लेकर योगेन्द्र सैनी के मकान तक टाईल्स का निर्माण कार्य। 2– सुलेमान शाह मे अबरार के मकान से इशरार के मकान के तक सी0सी0 सडक कार्य। 3– वार्ड 20 मे लाईटों की व्यवस्था बहुत खराब है तत्काल उन्हे ठीक कराने और 40 लाईटें नयी लगवाने की आवश्यकता है। 4– सुलेमान शाह कब्रिस्तान सुलेमान शाह गेट का निर्माण कराने की आवश्यकता है। 5– मंदिर, मस्जिद, गुरूद्वारा, चर्च किसी भी धर्मस्थल को पानी के कनेक्शन फ्री कराने का कार्य। **श्री सलीम, सदस्य द्वारा दिये गये प्रस्ताव को पढ़कर सुनाया गयाः–** 1– मौहल्ला सराय भटियारी में फरीद की बेकरी से पूर्व मेम्बर मुन्ना कुरैशी की बैठक तक सी0सी0 सडक व नाली निर्माण कार्य। 2– हाजी अनीस की बैठक से बड के पेड की पुलिया और छोटी मस्जिद की गली तक सी0सी0 सडक व नाली निर्माण कार्य। 3– मौ0 बुध बाजार में साजिद की दुकान से प्रकाशी के मंदिर सी0सी0 सडक व नाली निर्माण कार्य। 4– मौ0 शेखान में जलेबी की दुकान से हाजी इस्लाम की दुकान तक सी0सी0 सडक व नाली निर्माण कार्य। 5– मौ0 पीरजादगान मस्जिद से हाजी इस्लाम की दुकान तक सी0सी0 सडक व नाली निर्माण कार्य। 6– स्व0 मेम्बर मेहरबान के घर से इकबाल आढती के मकान तक सी0सी0 सडक व नाली निर्माण कार्य। 7– हाजी भूरे वाली गली में सी0सी0 सडक व नाली निर्माण कार्य। 8– मौ0 कस्साबान में साजिद की दुकान से हाजी अजाज की चौक तक सी0सी0 सडक व नाली निर्माण कार्य। 9– मौ0 शेखान में हाजी शमशाद के सामने कामिल शेख आरिफ कुरैशी वाली गली सी0सी0 सडक व नाली निर्माण कार्य। 10– पूरे वार्ड में 20 पाईंट पर नई लाईटें लगाई जाये। 11– 02 महीने से समरसेबिल खराब है, वार्ड मे नया समरसेबिल लगाने का कार्य।

	श्री हाजी मन्नान, सदस्य द्वारा दिये गये प्रस्ताव को पढ़कर सुनाया गया:– 1– मौ0 शेखान में शमा बैट्री वालो के घर से हाफिज सलाउदीन के मकान तक इंटरलोकिंग टाईल्स सडक व नाली निर्माण कार्य। 2– मौ0 शेखान मे ंहाफिज सलाउदीन के घर से मौलाना रिजवान के घर तक सी0सी0 सडक व नाली निर्माण कार्य। 3– मौ0 भुल्लरिया की समस्त गलीयों सी0सी0 सडक व नाली निर्माण कार्य। 4– मौ0 भुल्लरिया स्थित पालिका मार्किट में जिन दुकानों मे ंशटर व छत नही है, उन दुकानों का कार्य पूर्ण कराया जाये व शेष बची दुकानों की नीलामी जल्द से जल्द कराई जायें। 5– वार्ड सं0 22 में नया समरसेबिल लगवाने का कार्य। उक्त प्रस्तावों पर अध्यक्ष महोदय की अनुमति से अधिशासी अधिकारी द्वारा सदन को अवगत कराया गया कि वर्तमान में पालिका में राज्य वित्त आयोग/पालिका निधि के अन्तर्गत कार्य कराये जाने हेतु पर्याप्त धनराशि नहीं है जिस कारण उपलब्ध कराये गये प्रस्तावों पर कार्य कराया जाना सम्भव नहीं है, जिस को दृष्टिगत रखते हुए सदन में चर्चा उपरान्त सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि मा0 सदस्यों द्वारा दिये गये विकास कार्यों के प्रस्ताव में अति आवश्यक कार्य को चिन्हिंत करते हुए अति आवश्यक कार्य ही राज्य वित्त आयोग के अन्तर्गत प्राप्त धनराशि से धनराशि की उपलब्धता के आधार पर कार्य कराये जाये तथा साथ ही साथ सदन में चर्चा उपरान्त सहमति बनी कि नगर में यदि कहीं भी सडक में कोई गडढा अथवा कोई नाली अथवा नाला क्षतिग्रस्त होता है या पेयजलापूर्ति में समसेबिल अथवा कोई समरसेबिल पम्प, पैनल, आदि खराब होता है या समरसेबिल रिबोर/हैण्डपम्पों की रिबोर/मरम्मत की समस्या उत्पन्न होती है या कहीं पर अति आवश्यक निर्माण कराया जाना आवश्यक होता है, तो ऐसे कार्यों को चिन्हिंत करते हुए पालिका अवर अभिंयता से आंगणन बनवाकर उन्हें प्राथमिकता के आधार पर तुरन्त कराया जाये। उक्तानुसार कार्यवाही के लिए सर्वसम्मति से अधिशासी अधिकारी/अध्यक्ष को अधिकृत किया गया।

अन्त में सभी को धन्यवाद देते हुए सभा समाप्त की गयी।

अध्यक्ष,
नगर पालिका परिषद,
सरधना (मेरठ)